न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 79/13 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मंगतूराम पुत्र ज्ञानीराम

2. लक्ष्मीनारायण पुत्र सम्पत जाति स्वामी निवासीयान ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

:–– अपीलांट

बनाम

1. ठंडीराम पुत्र हरफूल जाति स्वामी निवासी ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (मृतक)

1/1. शान्तीदेवी बेवाह ठण्डीराम

1/2. अभयसिंह पुत्र ठण्डीराम

1/3. पप्पूराम पुत्र ठण्डीराम

1/4. सन्तरा देवी पुत्री ठण्डीराम

1/5. देशराज पुत्र ठण्डीराम

1/6. सुरेन्द्र पुत्र ठण्डीराम

1/7. कमलेश पुत्री ठण्डीराम

1/8. विमलेश पुत्री ठण्डीराम ग्राम कतोपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

2. किरोडीलाल पुत्र हरफूल

3. कुंवरसिंह उर्फ बबलू पुत्र किरोडी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

4. माया

5. मानकौर पुत्रीयान हरफूल

6. रामदेव पुत्र मेवा पुत्री हरफूल

7. प्रताप पुत्र कृष्णा पुत्री हरफूल जाति स्वामी निवासी ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर

8. उप पंजीयक कोटकासिम

9. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कोटकासिम

10. आनन्द प्रकाश पुत्र जोहरीमल

11. बालकृष्ण पुत्र सरदारसिंह जाति अहीर निवासी कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:------असल रेस्पो0

12. धनपत

13. राजकुमार

14. श्यामलाल पुत्रान ज्ञानीराम

15. भोमडी बेवा ज्ञानीराम

16. चन्दर

17. चिरन्जी

18. श्रीकुंवार

19. महम्बर पुत्रान सम्पत्त जाति स्वीमयान ग्राम कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

:----- तरतीबी रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक 16.8.2013

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री महेन्द्र सिंह यादव

निर्णय दिनांक 28.4.2017

---

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 121/12 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 16.8.2013 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रा0 पत्र खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वादीगण ने तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 398/684 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण असल संख्या 1 ला0 7 के पिता स्व0 हरफूल, सम्पत व ज्ञानी पुत्रान मेहरदास को सामूहिक रूप से गांव के जागीरदारों तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा तथा इनके बुजुर्गों द्वारा मौखिक रूप से दान में दी थी । स्व0 मेहरदास की फौतगी के वक्त जमाबंदी सम्वत 2010 बनी, तब हरफूल बुजुर्ग वयस्था था तथा सम्पत व ज्ञानी छोटे बच्चे थे । कर्ता परिवार होने के नाते स्व0 हरफूल के नाम का अमल हो गया । विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 686 व 687 पारिवारिक बंटवारे में मिन प्रार्थीगण संख्या 1 ला0 10 के हिस्से में सालिम रूप से आई है । मौके पर प्रार्थीगण काबिज है । परन्तु कागजात माल में अप्रार्थीगण का गलत रूप से नाम दर्ज होने के कारण वे आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है तथा आराजी को खुर्दबुर्द करने की फिराक में है । अतः निवेदन है कि प्रा0 पत्र स्वीकार किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रा0 पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी हम पक्षकारान के बुजुर्गों को सामूहिक रूप से गांव के जागीरदारों ने दान में दी थी । इसलिये विवादित आराजी में हमारा भी हिस्सा निहित है । परन्तु कर्ता खानदान होने के नाते चालाकी से विवादित भूमि प्रतिवादीगण रेस्पो0 के बुजुर्ग ने अपने नाम करा ली । जिसका फायदा उठाकर वे आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है । पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद को रोकने एवं आराजी को खुर्द बुर्द होने से बचाने के लिये टी0 आई0 जारी करनी चाहिये थी । इतना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

ही नहीं, जब परिवार के सदस्यों के मध्य विवाद चल रहा हो तो भी टी0 आई0 जारी करनी चाहिये । परन्तु तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2015 (2) आर0 आर0 टी0 985, आर0 बी0 जे0 (9) 2002 पेज 106, 2017 (1) आर0 आर0 टी0 114, 2015 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1300 एवं 1445 का हवाला दिया ।

4. विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि से प्रार्थीगण अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है । यह आराजी हमारे बुजुर्ग हरफूल की खुद पैदा आराजी है । उनके देहान्त के बाद हम काबिज है । रिकार्ड में हमारा नाम दर्ज है । पारिवारिक बटवारे में विवादित आराजी अपीलांट प्रार्थीगण के हिस्से में नहीं आई है । जब इनका विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो फिर अस्थाई निषेधाज्ञा किस बात की । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में आर0 आर0 डी0 14.4.2016 पेज 232, 2007 आर0 आर0 डी0 पेज 750 का हवाला दिया ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी पक्षकारान के बुजुर्गों को सामूहिक रूप से गांव के जागीरदारों ने दान में दी थी, परन्तु कर्ता खानदान होने के नाते अप्रार्थीगण के बुजुर्ग हरफूल ने जमाबन्दी सम्वत 2010 में अपने नाम का इन्द्राज करा लिया । इस सम्बन्ध में हमने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि जमाबन्दी सम्वत 2002 में विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 398/684 पर हरफूल वल्द मेहरदास को गैर मौरूसी दर्ज किया हुआ है । अतः अपीलांट का यह कथन कतई मानने योग्य नहीं है कि सम्वत 2010 में हरफूल ने अपने नाम का इन्द्राज करा लिया, क्योंकि इससे पूर्व ही सम्वत 2002 में हरफूल का नाम दर्ज है । वर्तमान में अप्रार्थीगण रेस्पो0 के नाम का अंकन हो रहा है । कानूनन रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । विद्वान वकील असल रेस्पो0 द्वारा जो नजीरें पेश की गई हैं, वे इस प्रकरण पर लागू होती है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.8.2013 यथावत रखा जाता है ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner